न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—107/2022 दायर दिनांक 06.06.2022

जीसीएमएस आई0डी0:—2022/279

श्रीमति पूनम पत्नि श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ———————————— सायला

बनाम

1. श्रीमति मिथलेश मीना पत्नि श्री राजीव जाति मीना निवासी श्यामपुर मूंडरी तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. श्रीमति मगना देवी पत्नि हरिमोहन जाति जाट निवासी श्यामपुर मूडरी तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
3. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन ———————————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट सायल
2. श्री अशोक नीमनका एड. गैरसायलान सं01,2

निर्णय दिनांक :—17.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायला ने गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादी सं03 व 4 के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में पेश कर दिया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 571 व पुराना 108 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 1.05 हैक्ट0 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें सायला 1/6 भाग की खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायल सं0 1 का 1/3 व गैरसायल सं0 2 का 1/3 व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल सं0 3 का 1/6 भाग है। और सभी अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात का मौके पर बाहमी तौर पर बंटवारा हो रहा है और सायला अपने 1/6 भाग को शांति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के काश्त करती चली आ रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतज्रिका मद नं0 2 वाद पत्र में सायला का 1/6 हिस्सा है जो कि वेश कीमती जमीन है। और सायला के हिस्से की जमीन को सायला हर साल जोतती, बोती चली आ रही है और फसल पकने पर दरोह करती आ रही है। इस प्रकार सायला का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात का अभी लीगल बंटवारा नहीं हुआ है। गैरसायलान सं0 1 व 2 आये दिन सायला की डोल मेढ को तोडते रहते हैं और विवाद करती रहती है। आये दिन काश्त पर विवाद करती रहती है सायला ने कई बार लीगल बंटवारा को निवेदन किया लेकिन हर बार टाल देते है। सायला के हिस्से की भूमि से गैरसायलान का कोई लेना देना नहीं है लेकिन गैरसायलान, सायला को उसके हिस्से की जमीन से जबरन बेदखल करना चाहते है तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तन करना चाहते है तथा बिना विधिक बंटवारा हुये भूमि को रहन बय करना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 28.05.2022 को सुबह 7 बजे सायला ने हिस्से की भूमि की सार संभाल कर रही थी तो अचानक गैरसायलान सं0 1 व 2, सायला के हिस्से की आराजीयात पर आयी और सायला की डौल मेढ को तोडने लगी तो सायला ने कहा कि आप मेरी डोल मेढ को मत तोडो आपका कोई संशय हो तो पहले इसका विधिवत बंटवारा करवा लो इस पर गैरसायलान सं0 1 व 2 उग्र हो गयी और कहने लगे कि हमारा प्लान तुम्हारी हिस्से की जमीन को छीनना है अब तुम इन भूमियों को भूल जाओ अब हम कब्जा करेंगे और इसमें पुख्ता निर्मण करेगें तथा बिना विधिवत बंटवारा हुये रहन बय कर देंगे। सायला ने कहा कि आप मुझे परेशन मत करो सायला ने काफी हाथ जोडे तथा गणमान्य लोगो से भी समझवाया लेकिन गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपनी हठधर्मी पर आमादा है अज खुद मानने को तैयार नहीं है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकतों में सफल हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। इस कारण यह दावा बावत तकास्ता एवं स्थी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी आई पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। यदि गैरसायलान को जरिये टी आई पाबंद नहीं किया गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही हो सकेगी। सुविधा का संतुलन सायला के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि दौरान दावा गैरसायलान, सायला को आराजीयात मुतज्रिका नं0 2 प्रार्थना पत्र खसरा नं0 54 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तह0 हिण्डौन में सायला के 1/6 हिस्से को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे बिना विधिवत बंटवारा के रहन वय नहीं करे, तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायला को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल 1, 2 की ओर से श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.07.2022 को वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 लगायत 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 1 लगायत 7 गलत है, अस्वीकार है।

विशेष विवरण :—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि आराजीयात विवादग्रस्त में गैरसायलान द्वारा आराजीयात विवादग्रस्त को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। इसलिये आराजीयात विवादग्रस्त से सायला को कोई सरोकार नहीं है। साथ ही सायला का मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कोई कब्जा काश्त भी नहीं है। जिसके अभाव में सायला उक्त प्रकरण में कोई दादरसी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशा कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायला मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायला ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया और सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी देवीसिंह पुत्र श्योसिंह हि0 1/6, पूनम पत्नि राकेश कुमार हि0 1/6, मगनादेवी पत्नि हरिमोहन हि0 1/3 जातियान जाट सा.ग्राम. खातेदार, मिथलेश मीना पत्नि राजीव हि0 1/3 जाति मीना निवासी श्यामपुर मूंडरी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के सायला एवं गैरसायल सं01,2 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। रिकोर्डेड सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन होकर उनका पृथक पृथक खाता एवं लगान कायम नहीं हो जाता है। गैरसायल सं03 मूल दावे में पक्षकार मुकदमा नहीं होने के कारण गैरसायल सं03 के विरूद्ध सायला कोई दादरसी प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रतीत नहीं होता है। सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायला के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दि0 06.06.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ख्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी)
हिण्डौन
हिण्डौन जिला करौली